न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 162/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/कोटा

दायरा दिनांक 9.11.2020

किस्म अपीलः धारा 39 राज0 कृषि विकास निगम अधि0 1956

उनवान

रमेशचंद पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज0।

.... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा ।

.......रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक अपीलांट
श्रीसैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभि0 अपीलार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 18.10.2021

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं. 02/2018 (विविध प्रार्थना पत्र) बउनवान रमेशचंद बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 8.1.2020 के विरूद्ध अपील राजस्थान कृषि विकास निगम अधि0 1956 की धारा 39 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अपीलांट ग्राम गणेशखेडा तह0 पीपल्दा की खसरा नम्बर 42/2 की 15 बीघा 2 बिस्वा, ख0 नं0 65 की 9 बीघा 7 बिस्वा तथा ख0 नं0 43/3 की 11 बीधा 5 बिस्वा व अन्य आराजी का खातेदार कृषक है। अपीलांट की भूमि पर सुधार कार्य हुआ था नही की जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.12.1998 को अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की जांच मे ऐसा कोई प्रमाण नही है कि अपीलांट की भूमि पर विभाग द्वारा सुधार कार्य किया हो तथा जब सुधार कार्य ही नही किया गया तो अपीलांट की भूमि मे कटौती किस आधार पर की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया कि अपीलांट की भूमि वाले गांव मे केचमेन्ट हुआ था जबकि जांच यह करनी थी कि विवादित भूमि पर केचमेन्ट विभाग द्वारा सुधार कार्य किया या नही। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया है। तहसील ने भूमि पर सुधार कार्य नही होने से केचमेंट विभाग के कर्जे का नोट जमाबन्दी से हटाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया है कि जब भूमि पर केचमेंट विभाग द्वारा सुधार कार्य नही किया गया तो खातेदारी की भूमि मे कटौती कैसे की जा सकती है। इसी प्रकार मौके पर भूमि पुराने रिकार्ड के अनुसार पूरी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पर भू सुंधार कार्य नही हुआ है तथा मौके पर आराजी को केचमेंट हेतु नही ली गई। केचमेट मे कटौती उसी अवस्था मे की जा सकती है जब भूमि पर सुधार कार्य किया

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

गया हो तथा ड्रेन धोरा कायम करते हुये भूमि वापस संभलाई गई हो। मौके पर अपीलार्थी पूर्व के अनुसार ही आराजी पर काबिज चला आ रहा है। अतः कटौती के आदेश निरस्त किये जाकर पूर्व मे दर्ज आराजी के अनुसार ही आराजी प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि ग्राम गणेशखेडा तह0 पीपल्दा मे केचमेन्ट हुआ व ड्रेन व धोरे कायम किये गये। केचमेंट के नक्शें मे प्लानिंग केचमेंट अनुसार हो रहे है। अतः अपीलांट का कथन आधारहीन होने से अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

5 हमने अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 पर मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.12.1998 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वादग्रस्त भूमि पर केचमेंट हुआ अथवा नही, की जांच कर पुनः प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करे। उक्त रिमांड निर्देशो के परिपेक्ष्य मे पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार पीपल्दा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गणेशखेडा तहसील पीपल्दा मे वादग्रस्त आराजी मे केचमेंट कार्य किया जाना व ड्रेन व धोरे खोदे जाना तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शा केचमेट के अनुरूप ही होना स्पष्ट होने के परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जेरअपील निर्णय दिनांक 8.1.2020 से खारिज किया है। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील उक्त निर्णय न्यायालय हाजा के रिमांड निर्देशों के विपरीत है। अपीलांट का उक्त तर्क अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तहसीलदार पीपल्दा व पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार स्वीकार्य नही है। अपीलांट द्वारा अपने उक्त तर्क के संबध मे हस्तगत अपील प्रकरण मे ऐसे कोई आधार अभिलेख प्रस्तुत नही किये तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख, साक्ष्य सबूत उपलब्ध है जिससे वादग्रस्त आराजी पर केचमेंट कार्य नही होना प्रकट करते हो। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार पीपल्दा तथा पटवारी हल्का की उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम गणेशखेडा तह0 पीपल्दा मे केचमेंट कार्य होने की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 30.12.1998 मे दिये गये रिमांड निर्देशों की पालना मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट अनुसार समुचित तथ्यो का परीक्षण करते हुये जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष निहित होना प्रकट नही होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 8.1.2020 न्यायोचित है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.10..2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/10/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा